भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 166406

1. भूमि का प्रकार— आवासीय
2. वार्ड / परगना— हरीपर्वत आगरा
3. मोहल्ला - ग्राम लश्कर पुर मुहाल चोखे लाल कब्जा नम्बर एक [illegible] व जिला आगरा।
4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि नॉन जेड. ए. मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मुहाल चोखे लाल कब्जा नम्बर एक कॉरपोरेशन संख्या 26 / 232 हरीपर्वत वार्ड
5. मापन की ईकाई— वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल— 132.83
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)— लागू नहीं
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर आदि)—
   - कॉर्नर — नहीं
   - दो मार्ग — नहीं
   - पार्क फेसिंग — नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार— पुराना मकान
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)— लागू नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल— लागू नहीं

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

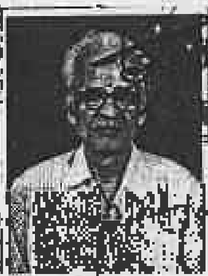

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 166405

[illegible]कान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
[illegible] MAY [illegible]
[illegible], [illegible]

12. स्थिति– फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य– लागू नहीं

13. पेड़ो का मूल्यांकन– लागू नहीं

14. बोरिंग/कूआँ/अन्य लागू नहीं

15. निर्मित क्षेत्रफल– लागू नहीं

16. निर्माण का वर्ष– लागू नहीं

17 सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं

18 प्रतिफल की धनराशि– 27,66,000/– सत्ताईस लाख छियासठ हजार रुपयों में।

19 चौहद्दी–

दिशायें-	सीमायें–
पूर्व–	सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता द्वितीयपक्ष।
पश्चिम–	सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता द्वितीयपक्ष।
उत्तर–	सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता द्वितीयपक्ष।
दक्षिण–	सड़क आम, इस ओर निकास आदि इस भूमि के है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 166140

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
12 MAY 2011
कोषागार, आगरा

FOR S... LTD.

MANAGING DIRECTOR

प्रथमपक्ष की संख्या (दो), विक्रेतागण का विवरण–

1. नाम– श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री काशी नाथ निवासी 103, शिवालिक ग्रीन्स अपार्टमेन्ट्स, गाँधी नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार

2. नाम– मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री (भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932 व उसके संशोधनों के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत भागीदारी फर्म, कि जिसका अंतिम संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के संशोधित हुआ है) पंजीकृत कार्यालय स्थित सुल्तानगंज आगरा द्वारा वर्तमान भागीदारगण–

2.1 श्री नन्द किशोर गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी 26/239, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 95 बदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

2.2 श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 166141

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FOR ... PVT. LTD.

DIRECTOR

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
2 MAY 2011
कोषागार, आगरा

निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 283 से 292 क्रमांक 83 बदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा।

<u>द्वितीयपक्ष की संख्या (एक). केता का विवरण–</u>

1. नाम- मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनीज अधिनियम वर्ष 1956 के प्राविधानों के अनुसार इनकॉरपोरेटेड कम्पनी, इनकॉरपोरेशन संख्या यू 45400 यूपी 2008 पीटीसी 035002 वर्ष 2008–2009, आर. ओ. सी उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल) पंजीकृत कार्यालय स्थित 18/180ए/1–सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं प्रतिनिधिगण–

   1.1 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री दरेशचन्द निवासी 18/180ए/1सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

   1.2 श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी ई–14/15, रश्मि नगर, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

B 166142

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
12 MAY 2011
कोषागार, आगरा

उ0 प्र0 स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की धारा 2(10) व अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 23–ए के अनुसार स्टाम्पित।

– विक्रयपत्र तादादी 27,66,000/– सत्ताईस लाख छियासठ हजार रुपया।

– एक किता भूमि नॉन जेड ए मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मुहाल घोखे लाल कब्जा नम्बर एक, कॉरपोरेशन संख्या 26/232 हरी पर्वत वार्ड आगरा मय आवासीय पुराने निर्माण, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और जिसके चारो ओर 50 मीटर की त्रिज्या में नये–पुराने आवासीय भवन व खुले भूखण्ड हैं, मय कुल वस्तु व अधिकार मुताल्लिका कि जिसकी सीमायें उपरोक्त दी गई है।

– कुल क्षेत्रफल 132.93 वर्गमीटर।

– कलक्टर आगरा के द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के भाग 2 (क) (III) के पृष्ठ संख्या 18 के क्रमांक 8 के कॉलम संख्या 6 के अनुसार भूमि की दर 15,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर है।

– उक्त दर व वास्तविक विक्रयमूल्य के अनुसार इस विक्रयपत्र पर स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से विलमुक्ता 1,94,000/– रुपया का स्टाम्प क्रेता द्वितीयपक्ष ने अदा किया है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980010

विक्रयपत्र

हम कि

1. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल उक्त – भूमि के पट्टाधारक एवं निर्माणों के स्वामी विक्रेता प्रथमपक्ष व
2. मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री उक्त – भूमि स्वामी विक्रेता द्वितीयपक्ष

एवं।

3. मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त – क्रेता तृतीयपक्ष हैं।

विदित हो कि –

1. यह कि एक किता आराजी नोन जैड ए. स्थित ग्राम लश्कर पुर तहसील व जिला आगरा मुहाल मोखे लाल खसरा नम्बर एक तातादादी तीन बीघा चौदह बिस्वा, कि जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की श्रीमती विद्यावती देवी मालिक व काबिज व जिमींदार थीं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980009

खसरा संख्या	रकबा बिस्वा में
318	12
319	7
320	6
321	12
322	7
323	3
324	17
632	6
633	9
किता नौ	तीन बीघा चौदह बिस्वा
लगानी	रुपया 54/25 पैसे साल

1 यह कि उक्त श्रीमती विद्यावती देवी ने उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिकाना हकों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती विद्यावती उक्त बहक लाठ चामन लाल पुत्र लाठ बाल मुकन्द अग्रवाल निवासी मोहल्ला भण्डारी कस्बा बटाला जिला गुरुदासपुर, पूर्वी पंजाब लेख दिनांक 23/12/1957 व निबन्धन दिनांक 27/12/1957 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1401 पृष्ठ 219 से 222 क्रमांक 4976 व मुसन्ना क्रमांक 4977 बदफ्तर उप निबन्धक आगरा के उक्त लाठ चामन लाल को विक्रय कर दिया।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980008

1.2 यह कि ला0 चानन लाल की उक्त भूमि पर ला0 काशी नाथ अग्रवाल पुत्र ला0 भगवता प्रसाद ने अपने निर्देशन पर अपना एक मकान संख्या 3682 हरीपर्वत वार्ड आगरा का निर्माण कराया। बाद में उन्होंने अपने इस मकान की तहती भूमि को द्वारा पट्टापत्र लिखित काशीनाथ अग्रवाल उक्त व ला0 चानन लाल भौसूमा बाहमदीगर लेख दिनांक 10/09/1958 व निबन्धन दिनांक 15/12/1958 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द सं0 1464 पृष्ठ 54 से 57 कमांक — बदफ्तर उप निबन्धक आगरा के दिनांक 10/12/1958 से बम्याद 84 वर्ष के बशरह किराया 10/— रुपया साल के श्री चानन लाल से पट्टे पर प्राप्त करके पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक बने।

1.3 यह कि लाला काशीनाथ अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी व पुत्रगण श्री जगदीश प्रसाद व श्री महावीर प्रसाद व श्री विश्नु प्रसाद के मध्य दिनांक 29/11/1967 को आपसी सहमति से लिखित बँटवारा हो गया। जिसके आधार पर जायदाद मजकूर श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, उक्त प्रथमपक्ष, के हक में प्राप्त हुई कि जो उक्त जायदाद पर बहैसियत मालिक व तहती जमीन पट्टाशुदा के बहैसियत पट्टेदार काबिज व दखील चले आते हैं। उनका नामांकन एवं उनकी जायदाद का पृथक कर निर्धारण हो चुका है जिसके अनुसार उक्त प्रथमपक्ष उक्त मकान संख्या 26/232 के निर्माण के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हैं और उसकी तहती भूमि के एकल पट्टाधारक हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982294

1.4 यह कि उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि में अन्य कोई दावेदार या दखीलकार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष को उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि या उसके भाग को बेचने आदि से रोक सके तथा उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, हुक्म इम्तनाई आदि आदि से कतई पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अध्यर्पित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है तथा उक्त भूमि या उक्त मूल विक्रयपत्र आदि किसी भी आड़ या जमानत आदि आदि में नहीं दिये गये हैं।

1.5 यह कि निर्माण पुराने होने के कारण जर्जर हो गये हैं और बहुत खराब दशा में हैं और उनका अधिकांश भाग गिर गया, अतः उसका मलबा सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया और मौजूदा निर्माण व पट्टाशुदा भूमि से प्रथमपक्ष को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है तथा प्रथमपक्ष अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर केवल द्वितीयपक्ष अपने लिये उपयुक्त पाकर उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार है और वर्तमान में सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे हैं और वर्तमान में इससे अधिक कीमत मिलना सम्भव

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982295

नहीं है। अतः प्रथमपक्ष उक्त मकान एवं तहती फ्रीहोल्ड भूमि को द्वितीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

यह कि उक्त ला० बालमुकन्द अग्रवाल का संयुक्त कारोबार था। उनके चार पुत्रगण सर्वश्री चानन लाल उक्त व मनोहर लाल व घनेयालाल व केदार नाथ थे। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को संयुक्त कारोबार के धन से क्रय किया था और उक्त भूमि के कुछ भाग पर निर्माण कराया, तदोपरान्त ला० चानन लाल का नामांकन नगर निगम आगरा के अभिलेखों में दर्ज हो गया।

यह कि ला० चानन लाल ने अपने पिता ला० बाल मुकन्द अग्रवाल तथा अपने भाई ला० केदार नाथ व उनके पुत्र श्री नंद किशोर पुत्र ला० केदार नाथ एवं अपने पुत्र श्री राज कुमार को भागीदार बनाते हुये एक भागीदारी फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री (बाल मुकन्द चानन लाल) का द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 22/03/1977 को गठन किया। फर्म के कारोबार का संचालन उक्त भूमि पर बने हुये उक्त भवन एवं शेष खाली भूमि पर किया जाता था क्योंकि बाल मुकन्द का कारोबार संयुक्त था। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार के धन से क्रय किया था। अतः उक्त भूमि के स्वामित्व एवं फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गये, जिनके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद संख्या 155/1978 न्यायालय सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चानन लाल) स्थापित हुआ, जिसके विरुद्ध एक

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982296

सिविल रिवीजन संख्या 254/1980 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (केदार नाथ बनाम चानन लाल) स्थापित हुई। रिवीजन के दौरान पक्षकारों के मध्य इस आधार पर समझौता हो गया कि पक्षकारों के मध्य उक्त जायदाद एव फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के विवादो को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04/1/1980 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 एल0 माथुर को पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निवारण करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया। इस मध्य ला0 चानन लाल का दिनांक 23/12/1980 को स्वर्गवास हो गया। मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 20/03/1981 को अपना निर्णय (अवार्ड) पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे पक्षकारों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, परन्तु पक्षकारों के मध्य पुन समझौता हो गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 155/1978 वान्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चानन लाल) की पत्रावलि आदेश दिनांक 06/03/1984 के द्वारा स्वयं वाद का अंतिम निस्तारण करने के लिये उच्च न्यायालय में मँगा ली। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09/03/1984 के द्वारा वाद संख्या 155/1978 को राजीनामा दिनांक 06/03/1984 के आधार पर अंतिमरुप से निर्णीत कर दिया और मध्यस्थ माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 सी0 माथुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20/03/1981 की पुष्टि की। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/03/1984 अंतिम हो चुका है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

S 981285

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
[illegible] 2011
कोषागार, आगरा

राजीनामा में उपरोक्त जायदाद का स्वामित्व सभी पक्षकारों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री आगरा का स्वीकार किया गया और ला0 चानन लाल के विधिक उत्तराधिकारीगण, जो उक्त फर्म के भागीदार थे, ने अपने हिस्से का रुपया लेकर उक्त फर्म से निवृत (रिटायर) हो गये। परिणाम स्वरूप उक्त फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री में केवल श्री केदार नाथ व श्री नंद किशोर भागीदार रह गये। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री की सम्पत्ति है और वह उसकी एकमात्र मालिक व काबिज व दखील है।

4. यह कि उक्त फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के भागीदार ला0 केदार नाथ की मृत्यु दिनाक 10/03/2003 को हो गई। अतः उक्त फर्म का संविधान स्वतः भंग हो गया। फर्म का कारोबार बंद हो चुका है। ला0 केदार नाथ की अंतिम इच्छा के अनुसार एवं पारिवारिक व्यवस्था में उनके सभी उत्तराधिकारियों की सहमति पर उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल उक्त फर्म की भागीदार बन गई। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म का संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के द्वारा लिखा गया, जिसके अनुसार उक्त फर्म के केवल दो भागीदार श्री नंद किशोर एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल है। यद्यपि उक्त फर्म का कारोबार बंद हो चुका है फिर भी पुराने कारोबार के कुछ देने–लेने आदि है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 981286

निष्प्रकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
MAY 2011
कोषागार, आगरा

5. यह कि उपरोक्त विवरणानुसार उक्त सीमांकित सम्पत्ति की तहती भूमि की उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री एकमात्र जिमींदार व मालिक है और आवासीय निर्माण के विक्रेता प्रथमपक्ष मालिक व उक्त तहती पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक हैं।

6. यह कि उक्त सम्पत्ति दोनों विक्रेतागण के लिये उपयोगी नहीं है और पुरानी एवं जर्जर होने के कारण अधिकांश निर्माण गिर कर समाप्त हो चुके हैं और मौके की जो स्थिति है वह संलग्नक फोटो से स्पष्ट है।

7. यह कि उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई दावेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है और इसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धर्मादा आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथम या द्वितीयपक्ष ने प्राप्त किया है। उक्त दोनों पक्षों के अपने सभी वर्णित विलेख मौजूद हैं और किसी भी आड या जमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 981287

शिवप्रकाश द्विवेदी
कोषाधिकारी

यह कि उक्त सम्पत्ति से हम विक्रेतागण प्रथम या द्वितीयपक्ष को कोई लाभ नहीं है और निष्प्रयोजित होने के कारण उसकी देखभाल एवं करों की अदायगी में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अतः दोनों पक्षों ने एकमत से यह सुनिश्चित किया है कि दोनों पक्ष मिलकर यदि उक्त सम्पत्ति को विक्रय करेंगे तो अधिक धन प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल क्रेता तृतीयपक्ष ही सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक कीमत प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः हम प्रथम एवं द्वितीयपक्ष मिलकर उक्त सीमांकित सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

२. यह कि द्वितीयपक्ष श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल एवं श्री नंद किशोर अग्रवाल, कि जो उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री के संवैधानिकरूप से भागीदार है, उक्त ला० केदार नाथ अग्रवाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण हैं। ला० केदार नाथ अग्रवाल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके समस्त उत्तराधिकारीगण के उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार ला० केदार नाथ अग्रवाल की उक्त भागीदारी फर्म में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल मालिक व दावेदार बनी और अन्य उत्तराधिकारीगण का कोई हक या दावा आदि न तो स्थापित हुआ और न माना गया और उक्त फर्म में ला० केदार नाथ अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल भागीदार बन चुकी हैं। इस सम्बन्ध में ला० केदार नाथ अग्रवाल के

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 980067

उत्तराधिकारियों के मध्य पारिवारिक बंटवारा प्रभाव में आ चुका है जिसके सम्बन्ध में एक स्मृतिपत्र भी उनके मध्य लिखा जा चुका है और विभिन्न विक्रयपत्रों में ला० केदार नाथ के अन्य उत्तराधिकारिगण उक्त द्वितीयपक्ष के स्वामित्व को पुष्टित कर चुके हैं।

यह कि उक्त सभी मुख्तारनामे बाजाब्ता निष्पादित एवं निबन्धित हुये हैं और आज तक कायम व बरकरार हैं और उनके किसी भी अधिकार आदि में कोई कमी नहीं हुई है और उनके निष्पादकगण जीवित हैं।

अतः हम दोनों विक्रेतागण प्रथम एवं द्वितीयपक्ष ने संयुक्तरूप से बाजानकारी एवं सहमति चतुर्थपक्ष के स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज़ के खूब सोच समझकर उक्त भूमि क्षेत्रफल 132.83 वर्गमीटर मिनजुमला खेत संख्या 318 में 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मुहाल चोखे लाल कब्जा नम्बर एक व उस पर बने आवासीय पुराने निर्माण कॉरपोरेशन संख्या 26/232 हरीपर्वत वार्ड आगरा, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया है, को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नागंकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता बएवज 27,66,000/- सत्ताईस लाख छियासठ हजार रुपया कि आधे जिसके 13,83,000/- तेरह लाख तिरासी हजार रुपया होते हैं बदस्त मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त क्रेता तृतीयपक्ष, के गुड टायटिल के साथ बैय कतई किया और बेच दिया।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980068

बिक्रय संविदा इस प्रकार हैं —

1. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 25,00,000/— पच्चीस लाख रुपया एवं विक्रेता द्वितीयपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 2,66,000/— दो लाख छियासठ हजार रुपया इस विक्रयपत्र के निष्पादन से पूर्व नीचे लिखे विवरणानुसार क्रेता तृतीयपक्ष से प्राप्त करके गुजरा दिया। इस तरह विक्रेतागण को कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य होगा।
2. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने बिक्रीत भूमि व निर्माण पर से अपना कब्जा व दखल हटा लिया और क्रेता तृतीयपक्ष का कब्जा व दखल बेची गई भूमि व निर्माण पर नाप व सीमाओं के अनुसार करा दिया और विक्रेता द्वितीयपक्ष ने बिक्रीत भूमि का स्वामित्व क्रेता तृतीयपक्ष को देकर उक्त विक्रीत भूमि का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया।
3. यह कि दोनों विक्रेतागण के स्थान पर अब क्रेता तृतीयपक्ष उक्त सम्पत्ति एवं भूमि के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हो गये।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980069

4. यह कि अब क्रेता तृतीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि से बहैसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे। ऋण, विक्रय आदि करें। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। निर्माण, नव–निर्माण आदि करावे और चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल में लावें अथवा जो चाहे सो करें।

5. यह कि क्रेता तृतीयपक्ष विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करालें, दोनों विक्रेतागण अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

6. यह कि आज तक के बकाया लगान/कर आदि, यदि कोई होंगे, तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के क्रेता तृतीयपक्ष अदा करेंगे।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982219

7. यह कि यदि भविष्य मे कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध मे पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा क्रेता तृतीयपक्ष से करे और उसके कारण या किसी भी विक्रेतागण के डिफेक्टिव टायटिल से या उनकी किसी गलत ब्यानी के कारण या विक्रीत भूमि पर पहले से कोई बार या चार्ज आदि पाये जाने के कारण या इस विक्रय या विक्रयपत्र मे कोई डिफेक्ट पाये जाने के कारण कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जाये तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद व हर्जा व खर्चा के जिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म विक्रेतागण व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें विक्रेतागण व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 314979

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
कोषागार, [illegible]

यह कि इस विक्रय व विक्रयपत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन, निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो क्रेता तृतीयपक्ष की मॉग व खर्चे पर दोनों विक्रेतागण व चतुर्थपक्ष निष्पादित व निबन्धित करने के लिये बाध्य हैं और रहेंगे।

यह कि उक्त अनुबन्धपत्र एवं इस विक्रयपत्र का कुल खर्चा क्रेता तृतीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल विक्रयपत्र क्रेता तृतीयपक्ष के पास रहेगा। दोनों विक्रेतागण ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्राप्त कर ली है।

यह कि विक्रेतागण ने उक्त कागजात क्रेता तृतीयपक्ष के सुपुर्द कर दिये हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 314978

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
कोषागार, आगरा

8. यह कि हम पक्षों के स्थाई आयकर लेखा संख्या निम्नलिखित हैं: –

महावीर प्रसाद अग्रवाल	A	A	X	P	A	0	9	4	7	M
मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री	A	A	D	F	B	3	9	3	1	A
मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	A	A	M	C	S	3	9	6	3	R

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 314977

[illegible] द्विवेदी
[illegible]
MAY 2011
[illegible]

यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया क्रेता तृतीयपक्ष से नीचे लिखे चैकों के द्वारा प्राप्त किये–

चैक न०	दिनांक	तादादी–	बैंक
762301	01 / 09 / 2010	10,00,000 / -	पंजाब नेशनल बैंक, बेलन गंज आगरा
762304	04 / 09 / 2010	15,00,000 / –	
762327	16 / 05 / 2011	2,66,000 / –	

कुल योग 27,66,000 / - सत्ताईस लाख छियासठ हजार रुपया मात्र।

इस प्रकार दोनों विक्रेतागण को अब क्रेता तृतीयपक्ष से कोई रुपया पाना बाकी नहीं है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 314976

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
कोषागार, आगरा

अतः यह विक्रयपत्र हम पक्षों ने स्वेच्छा से निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख दिनांक 17 सत्रह माह मई वर्ष 2011 ईस्वी। इसका प्रारूप हनुमान प्रसाद कौशल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील जिला आगरा पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया जिससे संतुष्ट होकर पक्षकारों ने इसे नीचे लिखे साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया।

हस्ताक्षर महावीर प्रसाद अग्रवाल विक्रेता–

....

हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल बहैसियत मुख्तार मिनजानिब श्री नंद किशोर गोयल एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल भागीदार मैसर्स बी. सी. आगरा [illegible] विक्रेता–

....

हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता–

....

हस्ताक्षर [illegible] कुमार [illegible] अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या [illegible] (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता–

....

गवाह श्री Babu lal [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
निवासी 311 [illegible]
[illegible]

गवाह श्री Arvind Garg
पुत्र श्री Dinesh Chand Garg
निवासी 23/515 [illegible]
[illegible]

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

दस्तावेज लेखक श्री नाम हनुमान प्रसाद कौशल
अनुज्ञप्ति सं. 6 [illegible] वर्ष [illegible]
जिला और तहसील आगरा,
की नई कोर्ट
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर –
PAN ABAPK-1876-D

आज दिनांक 01/06/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7385

पृष्ठ सं. 167 से 212 पर क्रमांक 2763

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र प्रसाद ग्र

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

1/6/2011

SITE PLAN OF PLOT SITUATED AT MAUZA LASHKAR PUR HARI PARWAT WARD AGRA.
KH. NO. 318 TO 324, 632, 633
SELLER: M/S. B.C. IRON FUND & SRI MAHAVIR PRASAD AGARWAL.
PURCHASER: SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
(SHOWN IN RED COLOUR)

SCALE 4M = 1 CM.
AREA 132.83 SQM.

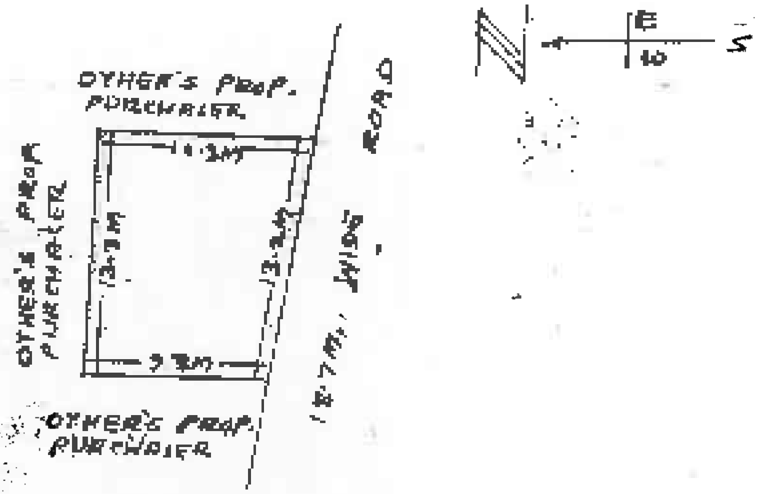

TRUE COPY

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
DIRECTOR